

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर
पत्रांक 3045/11-सी-दिनांक कानपुर, अप्रैल 4 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर

विषय:- गेल इण्डिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०९/७७/२०१७/९०९ दिनांक 16.03.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2680 /11-सी- एफ०पी० / यू०पी० / अन्य / 2397 /2017 दिनांक 19.03.2018।


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार ने विषयक प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर आपत्ति उठायी गयी है। जिसका निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत FRA 2006 प्रमाण पत्र का प्रारूप/कथन सही नहीं है।	FRA 2006 का संशोधित प्रमाण पत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रस्तुत है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के भाग-II में वृक्षों/पौधों की संख्या में विसंगति का निस्तारण किया जाये।	इस प्रभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव के भाग-II में वृक्षों/पौधों की संख्या में कोई विसंगति नहीं है।
3	इन त्रुटियों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।	इस प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय


(एस०एस०श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर 4

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एस०एस०श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर